प्रतिवेदन

2.1

कार्य का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बाडीकोट–खुरेडी (कोटियाग) मोटर मार्ग ल0 6.50 किमी0

प्रस्तावना :– इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं0 1760/पी03–14/ यू0आर0आर0डी0ए0 /09 दिनांक 14.12.2009 के द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। परन्तु लक्षित ग्राम 6.50 किमी0 लम्बाई में जुड जाता है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण बाडीकोट–जैठा मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से जैठा नामक स्थान से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखनों पर विचार किया गया है। जिनके संपेक्ष में गुणावगुण निम्नलिखित है :–

समरेखन नं0 1:– यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानत्रित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है। यह समरेखन बाडीकोट–जैठा मोटर मार्ग के किमी0 3.00 के जैठा नामक स्थान से प्रारम्भ होता है। जिससे ग्रामवासियों को यातायात हेतु आवागमन की सुविधा होगी तथा यह समरेखन अधिकतर नाप भूमि से होकर गुजरता है।

समरेखन नं0 2:– यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानत्रित्र पर नीले रंग से दर्शाया गया है। यह समरेखन निर्मित मोटर मार्ग बाडीकोट–जैठा मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से प्रारम्भ होता है। यह समरेखन अधिकतर वन भूमि से होकर गुजरता है एवं 4 हेयर पिन बैण्ड पड रहे हैं। जिससे मार्ग की लागत और अधिक आयेगी एवं वन भूमि अधिक कटने के कारण उक्त ग्रामों के ग्रामवासियों द्वारा भी आपत्ति की जा रही है। जिस कारण उक्त समरेखन को निरस्त किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त दोनों समरेखन के गुणावगुण पर विचार के उपरान्त समरेखन नं0 1 जो मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है, अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, ज्योलीकोट द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं भूवैज्ञानिक द्वारा भी समरेखन नं0 1 को ही मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त माना गया है।

उद्देश्य :– इस मार्ग के बन जाने से प्रस्ताव में अंकित ग्राम लाभाविन्त होने एवं उक्त मार्ग के बन जाने से इस क्षेत्र की समुचित विकास हो सकेगा तथा ग्रामवासियों को यातायात कास्तकारों एवं अन्य दैनिक/सामाजिक जीवन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

संस्तुति :– इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.50 किमी0 एवं चौडाई 7 मीटर में किया जाना अति आवश्यक है जिस हेतु इस मार्ग के वन भूमि हस्तानतरण प्रस्ताव है0 0.991 है0 वन भूमि का वन भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित कर पूर्व स्वीकृति हेतु भेजे जा रहे हैं।

सहायक अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,